

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

प्रार्थना पत्र संख्या  
17/2024

पीठासीन अधिकारी :- पंकज बड़गूजर (आर ए एस)  
रजू दिनांक  
05.06.2024

निर्णय दिनांक  
26.06.2024

1. गजराज पुत्र बहादुर सिंह
2. अनिल कुमार पुत्र महेन्द्र
3. सुनिल कुमार पुत्र महेन्द्र
4. मधु पुत्री महेन्द्र जातियान अहीर निवासीयान ग्राम श्रीयानी तह. नीमराना जिला कोटपूतली- बहरोड

श्रीमान तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली-बहरोड।

बनाम

प्रार्थीगण।

उपस्थिति:

1. श्री मकरध्वज शर्मा अधिवक्ता-प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र- अंतर्गत धारा 128, 111 एल0आर0एक्ट0।

अप्रार्थी।

-:निर्णय:-

आज यह प्रार्थना पत्र पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित और प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि मिन प्रार्थीगण की सहखातेदारी हाल ख.न. 1719/0.36 हैक्टैयर वाके ग्राम कुतीना तह0 नीमराना जिला कोटपूतली-बहरोड मे स्थित है। जिसकी सीमाज्ञान पैमाईश दिनांक 15.05.2024 को श्रीमान तहसीलदार,नीमराना के आदेशानुसार पटवारी हत्का द्वारा की गई सीमाज्ञान रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। उक्त मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट के मिन प्रार्थीगण अपनी आराजी की पुख्ता पत्थरगढी करवाने के लिए श्रीमान तहसीलदार नीमराना से मिले तो उन्होंने बताया कि हमारे नाम से राजस्व न्यायालय से पुख्ता पत्थरगढी किये जाने के आदेश लाने पर ही मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट पत्थरगढी की जा सकेगी का अंकन करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार, नीमराना को उक्त विवादित आराजी की पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 15.05.2024 के मुताबिक पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाये जावे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार हाजिर अदालत आए एवं जवाब की आवश्यकता नहीं है का कथन करते हुए सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये।


वकील प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के बाबत बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक पैमाईश सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 15.05.2024 के पुख्ता पत्थरगढी कराये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र बाबत बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली मे प्रस्तुत विवादित का गहनता से अवलोकन उपरान्त उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

### आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण क प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की प्रति मे स्वीकार किया जाता है एवं विवादित आराजी हाल ख.नं. 1719/0.36 हैक्टैयर वाके ग्राम कुतीना तह0 नीमराना की पुख्ता पत्थरगढी मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 15.05.2024 के किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसे हतु तहसीलदार, नीमराना को उक्त निर्णय की प्रति के साथ प्रार्थीगण अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

  
26.06.2024

(पंकज बड़गूजर)

उपखण्ड **उपखण्ड अधिकारी**  
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)  
जिला कोटपूतली-बहरोड